Inspector (Food Supply) and FCI Brief Notes

Part II

COMPETITION IQ

Proudly powered by

Education Bhaskar

Dislaimer: We are not the copyright owner of the document shared below.
It is for Education & knowledge purpose only.

15 खाद्य और नागरिक आपूर्ति

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग देश में खाद्य आर्थिकी के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। विभाग का उद्देश्य देश के नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस दिशा में निम्न नए मिशन अपनाए गए हैं।

- देश के नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना,
- न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रभावी प्रबंधन के साथ-साथ देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का प्रबंधन, संग्रहण और अनाजों का वितरण,
- उपयुक्त नीतिगत उत्पादनों के द्वारा अनाज, चीनी, खाद्य तेल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ अनाज के बफर स्टॉक का रखरखाव,
- कमजोर और खासकर समाज के वंचित वर्ग तक उचित कीमतों पर अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

अनाज की प्राप्ति

- सन् 2013-14 के रबी विपणन मौसम (अप्रैल 2013 से मार्च 2014) में 1 अगस्त, 2013 तक केंद्रीय पूल में 250.92 लाख मी.टन गेंहू की प्राप्ति हुई।
- सन् 2013-14 के खरीफ विपणन मौसम में (अक्तूबर 2013 से सितंबर 2014) अक्तूबर 2013 में चावल की प्राप्ति शुरू की गयी और 31 मार्च, 2014 तक 261.38 लाख टन धान (चावल) 342.89 लाख मी.टन के अनुभाग के विरुद्ध विभिन्न राज्यों से प्राप्त किया गया। प्राप्तियां अभी जारी है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम

नागरिकों के गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए वहन करने योग्य मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2013 को सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अधिसूचित किया। इस अधिनियम के तहत लगभग 75 फीसदी ग्रामीण और 50 फीसदी शहरी आबादी को रियायती मूल्य पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अनाज उपलब्ध कराने का प्रावधान है और इस तरह यह देश की लगभग दो तिहाई आबादी की खाद्य जरूरतों को पूरा करता है। अधिनियम महिलाओं और बच्चों के पोषण सहायता पर भी विशेष ध्यान देता है। भोजन की उपलब्धता के लिए अधिनियम के तहत लाभान्वितों को अनाज का वितरण अभी तक 11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों जैसे हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, चंड़ीगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार में किया जा रहा है।

Satish Meenuwaa

GET IT ON Google Play

Competition IQ

टीपीडीएस कार्यों का कंप्यूटरीकरण

- योजना में घटक-1 के तहत 'टीपीडीएस कार्यों का एक से दूसरे सिरे तक कंप्यूटरीकरण' कार्य शुरू कर दिया है जिसमें राशन कार्डों/लाभान्वितों तथा अन्य डाटाबेस का डिजिटलीकरण, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का कंप्यूटरीकरण, पारदर्शी पोर्टल का निर्माण और शिकायत निवारण प्रणाली शामिल है।
- योजना के तहत 19 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों/एनआईसी आदि के लिए सन् 2013-14 में 187.05 करोड़ रुपये जारी किये गये है। अभी तक 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों/एनआईसी को योजना के तहत 228.74 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। 14 राज्यों में लाभान्वितों के आंकड़े के डिजिटाइजेशन का काम पूरा किया जा चुका है, जबकि अन्य 16 राज्यों में यह कार्य जारी है। अन्य भागीदारों के आंकड़े भी 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में डिजिटाइजेशन किये जा चुके हैं। पच्चीस राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पारदर्शी पोर्टल और टॉलफ्री नंबर की स्थापना की जा चुकी है। अन्य कार्य जैसे ऑनलाइन आवंटन, आपूर्ति श्रृंखला का स्वचालन आदि का काम भी राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश कर रहे हैं।

अनाज का संग्रहण

केंद्रीय पूल में अनाज की सकल संग्रहण क्षमता 748.08 लाख मी.टन (31 मार्च, 2014) है, जबकि फिलहाल 381.12 लाख मी.टन का भंडार ही उपलब्ध है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) को लागू करने में लगभग 612 लाख मी. टन की आवश्यकता है। इसलिए वांछित स्टॉक के लिए पर्याप्त भंडारण क्षमता मौजूद है।

अनाज का खुले बाजार में विक्रय

- खुले बाजार में विक्रय योजना (घरेलू) (ओएमएसएस (डी)) के तहत 100 लाख मी.टन गेंहू और 5 लाख मीट्रिक टन चावल के आवंटन के विरुद्ध क्रमश: 61.16 लाख मी.टन गेहूं और 1.68 लाख मीट्रिक टन चावल की इस साल बिक्री हुई। ओएमएसएस (डी) के तहत एक उपयोजना भी शुरू की गयी है, जिसके तहत गेहूं की बिक्री के लिए समर्पित आंदोलन का प्रावधान है। इस उपयोजना के तहत इस साल भारतीय खाद्य निगम द्वारा 4.95 लाख मी.टन (187 रैंक) गेहूं की बिक्री की गयी है।
- विभाग द्वारा 25 अप्रैल, 2013 को जारी किये गए नये दिशा/निर्देशों के तहत राज्य एजेंसियां क्षतिग्रस्त अनाज के निबटान तथा इससे हुए वित्तीय नुकसान के लिए पूरी तरह से उत्तदायी होंगी।

आरएमएस 2013-14 में गेहूं की प्राप्ति

पिछले पांच साल में राज्यवार गेहूं की प्राप्ति निम्न है :

(आंकड़े लाख मी.टन में)

राज्य	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
हरियाणा	69.24	63.48	68.91	86.65	58.73
मध्य प्रदेश	19.68	35.39	49.65	84.93	63.55
पंजाब	107.25	102.09	109.58	128.34	108.97
राजस्थान	11.52	4.76	13.03	19.64	12.68
उत्तर प्रदेश	38.82	16.46	34.61	50.63	06.83
अन्य	7.31	2.96	7.55	11.29	0.16
संपूर्ण भारत	**253.82**	**225.14**	**283.35**	**381.48**	**250.92**

Satish Menuwala

GET IT ON Google Play
Competition IQ

ओएमएसएस (डी) के तहत पिछले चार साल में और वर्तमान वर्ष में बिक्री की गयी गेहूं की मात्रा निम्न प्रकार है :

(आंकड़े लाख मी.टन में)

वर्ष	मात्रा
2009-10	16.28
2010-11	11.55
2011-12	11.84
2012-13	68.67
2013-14	61.16

सन् 2013-14 में केएमएस में चावल की प्राप्ति

गत पांच वर्षों के दौरान देश में धान (चावल) प्राप्ति की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है :

(आंकड़े लाख मी.टन में)

केएमएस वर्ष	एफसीआई	प्राप्ति राज्य एजेंसियां	कुल
2009-10	101.73	218.61	320.34
2010-11	119.70	222.09	341.79
2011-12	91.10	259.31	350.41
2012-13	70.33	270.11	340.44
2013-14	31.69	229.69	261.38*

*31 मार्च, 2014 तक की स्थिति (प्राप्तियां अभी जारी हैं)

पिछले चार साल और वर्तमान वर्ष में ओएमएसएस (डी) के तहत विक्रय किये गये चावल की मात्रा निम्न है :

(आंकड़े लाख मी.टन में)

वर्ष	मात्रा
2009-10	4.94
2010-11	1.69
2011-12	0.19
2012-13	0.99
2013-14	1.68

अन्य कल्याणकारी योजनाएं

मध्याह्न भोजन योजना

मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त, 1995 को मध्याह्न भोजन की शुरुआत की गयी, जिसका उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन बढ़ाना, पुनर्दाखिले, तथा उपस्थिति बढ़ाना और बच्चों का पोषण स्तर

Satish Mehuwala

GET IT ON Google Play Competition IQ

बढ़ाना था। यह प्रारंभिक तौर पर देश के 2048 प्रखंडों में शुरू किया गया था। वर्ष 1997-98 तक यह देश के सभी प्रखंडों में लागू कर दिया गया। वर्तमान में यह कक्षा एक से आठ तक के सभी सरकारी, सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालयों/शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक और नवोन्मेषी शिक्षा केंद्रों में लागू है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग योजना के तहत वार्षिक जरूरतों के मुताबिक मानव संसाधन मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को खाद्य पदार्थ की आपूर्ति करता है। इसी विभाग द्वारा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को भी खाद्यान्न की बीपीएल दरों पर आपूर्ति की जाती है। इस योजना के तहत पिछले तीन वर्ष और इस वर्ष आवंटन/उपभोग निम्न प्रकार रहे :

(आंकड़े लाख मी.टन में)

वर्ष	आवंटन			उपभोग		
	चावल	गेहूं	कुल	चावल	गेहूं	कुल
2010-11	24.55	5.33	29.88	18.44	4.81	23.25
2011-12	22.29	4.84	27.13	19.17	4.49	23.66
2012-13	23.83	4.67	28.50	20.74	4.23	24.97
2013-14	22.79	4.67	27.46	19.86	3.91	23.77

(प्राप्ति में पूर्व का कोटा शामिल है)

गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम

यह कार्यक्रम महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत आवंटित अनाज का उपयोग राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा समन्वित बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के तहत छह साल से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती/स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषक/ऊर्जायुक्त भोजन देने के लिए किया जाता है। पिछले 3 सालों और वर्तमान वर्ष में इस योजना के तहत वार्षिक आवंटन / प्राप्ति निम्न प्रकार से रही है :

(आंकड़े लाख मी.टन में)

वर्ष	आवंटन			उपभोग		
	चावल	गेहूं	कुल	चावल	गेहूं	कुल
2010-11	6.00	9.00	15.00	2.74	7.54	10.28
2011-12	5.65	9.52	15.17	2.63	8.79	11.42
2012-13	4.50	9.95	14.45	2.89	8.91	11.80
2013-14	6.78	9.38	16.16	4.49	8.50	12.99

(प्राप्ति में पूर्व का कोटा शामिल है)

कल्याणकारी संस्थाओं को अनाज आपूर्ति की योजना

कल्याणकारी संस्थाओं जैसे चैरिटेबल संस्था, भिक्षुक गृह, नारी निकेतन और ऐसी ही अन्य कल्याणकारी संस्थाएं जो टीपीडीएस योजना अथवा किसी अन्य कल्याण योजना के तहत आवृत नहीं हैं, उनके लिए राज्यों/केंद्र प्रशासित प्रदेशों में भी बीपीएल आवंटन के अलावा खाद्यान्नों की एक अतिरिक्त मात्रा (जोकि बीपीएल कोटे के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती) बीपीएल दरों पर उपलब्ध कराई

Satish Mehuwala
GET IT ON Google Play
Competition IQ

जायेगी। योजना के तहत वर्ष 2005-2006 के दौरान संसदीय समिति की अनुशंसाओं पर अनाज के आवंटन तथा उपभोग की भी समीक्षा की गई। पिछले तीन साल के औसत उपभोग के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आवंटन को अगस्त, 2005 से जरूरतों के अनुरूप किया गया है।

योजना के तहत पिछले तीन साल और वर्तमान साल में अनाज का वार्षिक आवंटन/उपभोग निम्न प्रकार है।

(आंकड़े लाख मी.टन में)

वर्ष	आवंटन			उपभोग		
	चावल	गेहूं	कुल	चावल	गेहूं	कुल
2010-11	2.96	0.87	3.83	2.45	0.58	3.03
2011-12	1.56	0.53	2.09	1.80	0.40	2.20
2012-13	2.21	0.87	3.08	2.33	0.52	2.85
2013-14	3.32	0.71	4.03	2.56	0.46	3.02

(उपभोग में पूर्व का कोटा शामिल है)

नोट: आंकड़ों में अजा/अजजा/ओबीसी छात्रावासों का उपभोग भी शामिल है।

अजा/अजजा/ओबीसी छात्रावासों के लिए अनाज की आपूर्ति की योजना

यह योजना अक्तूबर 1994 में लागू की गयी। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग इस योजना की केंद्रीय संस्था है। छात्रावास जहां अजा/अजजा/ओबीसी विद्यार्थियों की संख्या लगभग दो तिहाई है, वे प्रति छात्र प्रति माह 15 किलो अनाज पाने के हकदार हैं। अनाज का आवंटन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से आयी मांग के आधार पर किया जाता है। तदनुसार वर्तमान वर्ष में योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली, कनार्टक, नगालैंड और त्रिपुरा को अनाज आवंटित किये गए हैं।

पिछले तीन वर्ष और वर्तमान वर्ष में योजना के तहत अनाज का वार्षिक आवंटन/प्राप्ति निम्न प्रकार है।

(आंकड़े लाख मी.टन में)

वर्ष	आवंटन			उपभोग		
	चावल	गेहूं	कुल	चावल	गेहूं	कुल
2010-11	1.32	0.17	1.49	-	-	-
2011-12	0.99	0.25	1.24	-	-	-
2012-13	0.54	0.17	0.71	-	-	-
2013-14	1.49	0.16	1.66	-	-	-

नोट : उपभोग का आंकड़ा 2002-03 की तिथि से बीपीएल के 5 फीसदी प्राप्ति समेत एफसीआई द्वारा सूचित।

अन्नपूर्णा योजना

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सन् 2000-01 में इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना में 65 वर्ष या उससे अधिक की उम्र के उन गरीब बुजुर्गों को शामिल किया गया है, जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो। वैसे प्रति बुजुर्ग को प्रतिमाह 10 किलोग्राम अनाज मुफ्त दिया जाता है।

Satish Meruwala

GET IT ON Google Play

Competition IQ

सन् 2002-03 से इसे राज्यों को राष्ट्रीय समाजिक सहायता कार्यक्रम, जिसमें राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना भी शामिल है, के साथ हस्तांतरित कर दिया गया है। राज्य स्तर पर योजना का क्रियान्वयन संबद्ध राज्य/संघ शासित प्रदेश के हाथ में ही है। राज्य स्तर पर संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में बीपीएल दरों पर अनाज दिया जाता है।

पिछले तीन साल और वर्तमान वर्ष में इस योजना के तहत आवंटन और उपभोग निम्न प्रकार से है :

(आंकड़े लाख मी.टन में)

वर्ष	आवंटन			उपभोग		
	चावल	गेहूं	कुल	चावल	गेहूं	कुल
2010-11	0.81	0.34	1.15	0.66	0.29	0.95
2011-12	0.64	0.32	0.96	0.66	0.21	0.87
2012-13	0.67	0.29	0.96	0.53	0.20	0.73
2013-14	0.41	0.17	0.58	0.48	0.09	0.57

आपातकालीन आहार कार्यक्रम (ईएफपी)

आपातकालीन आहार कार्यक्रम ओडिशा के केवीके जिलों में चलाया जाने वाला एक खाद्य हस्तक्षेप कार्यक्रम है, जो वहां के बुजुर्ग, अक्षम और अभावग्रस्त स्थिति में रह रहे बीपीएल परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है। यह कार्यक्रम सन् 1995-96 में आरंभ पांच केवीके जिलों में 45,141 लाभान्वितों के साथ शरू किया गया था। अब यह कार्यक्रम ओडिशा सरकार द्वारा आठ केवीके जिलों बलांगीर, कालाहांडी, कोरापुट, मलकानगिरि, नवरंगपुर, नौपाड़ा, रायगडा और सोनेपुर में चलाया जा रहा है, जिसके 2 लाख लाभान्वित हैं। इस योजना के तहत बीपीएल दर पर राज्य सरकार को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा अनाज (चावल) आवंटित किया जाता है।

पिछले तीन साल और वर्तमान वर्ष में इस योजना के तहत अनाज का वार्षिक आवंटन/प्राप्तियां निम्न प्रकार से है :

(आंकड़े लाख मी.टन में)

वर्ष	वार्षिक आवंटन	प्राप्ति
2010-11	0.18	0.17
2011-12	0.18	0.15
2012-13	0.18	0.18
2013-14	0.08	0.07

ग्रामीण अनाज बैंक योजना

ग्रामीण अनाज बैंक योजना का क्रियान्वयन पूर्व में जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा किया जाता था। 24 नवंबर, 2004 को यह योजना खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को हस्तांतरित कर दी गयी। योजना का लक्ष्य प्राकृतिक आपदा, मंदी के समय हाशिये पर जी रहे लोगों जिनके पास अनाज खरीदने के पर्याप्त संसाधन नहीं है, उन्हें खाद्य सुरक्षा मुहैया कराना है। ऐसे लोग अनाज की आवश्यकता पड़ने पर ग्रामीण अनाज बैंक से अनाज उधार ले सकते हैं। ऐसे ग्रामीण अनाज बैंक खाद्य स्रोत से वंचित इलाके

Satish Mehriwaa

GET IT ON Google Play
Competition IQ

जैसे सूखा संभावित क्षेत्र, ठंडे और गर्म जहां रेगिस्तानी क्षेत्र, जनजातीय बहुल क्षेत्र, पहुंच से दूर पहाड़ी क्षेत्र या फिर प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ आदि के चलते कई दिनों तक कटे रहने वाले क्षेत्रों में स्थापित किये जाते हैं।

हालांकि, ग्रामीण अनाज बैंक योजना के प्रति राज्यों की प्रतिक्रिया कुछ खास प्रोत्साहक नहीं रही है, क्योंकि केवल 17 राज्यों ने ही अपने यहां ग्रामीण अनाज बैंक की स्थापना की है। राज्यों से और प्रस्ताव भी नहीं आ रहे हैं। गत वर्षों के दौरान स्थापित ग्रामीण अनाज बैंकों की स्थापना हेतु, खाद्य एवं नकदी अवयवों के तहत जारी किये गए धन के संबंध में कई राज्य सरकारों द्वारा उपयोग प्रमाण-पत्र भी जमा नहीं कराये गए हैं साथ ही, संसद द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम भी पारित किया गया है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों की 75 प्रतिशत जनसंख्या को अत्यधिक रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराये जायेंगे। इसलिये, जनवरी, 2014 से ग्रामीण अनाज बैंक योजना बद कर दी गई है।

किशोरियों के सशक्तीकरण के लिये राजीव गांधी योजना

सबला

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय केन्द्रीय स्तर पर यह योजना लागू करता है और राज्य/संघ शासित प्रदेश इस योजना को क्रियान्वित करते हैं। 'सबला' योजना 19 नवंबर, 2010 को 'किशारियों के लिये पोषण कार्यक्रम' और 'किशोरी शक्ति योजना' नाम की दो योजनाओं को मिलाकर एक योजना के रूप में लॉच की गई थी, जिसे देश के 200 चुनिंदा जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना का लक्ष्य 11 से 18 वर्ष की किशोरियों को उनके पोषण तथा स्वास्थ्य- स्थिति में सुधार लाकर और घरेलू कौशल, जीवन जीने के लिए आवश्यक योग्यता तथा व्यावसायिक योग्यता जैसी विभिन्न योग्यताओं में उन्नयन करके सशक्त करना है। इसका उद्देश्य लड़कियों को परिवार कल्याण, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के विषय में शिक्षित करना और मौजूदा सार्वजनिक सेवाओं के विषय में जानकारी तथा मार्ग निर्देशन देना भी है। इसके तहत मुख्यधारा की स्कूल छोड़ चुकी लड़कियों की औपचारिक अथवा अनौपचारिक शिक्षा में बहाली करना भी आता है। इस योजना के अंतर्गत पोषण के लिये प्रत्येक लाभग्राही को वर्ष में 300 दिनों के लिए 100 ग्राम अनाज की प्रतिदिन आवश्यकता है। वर्ष 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान चावल तथा गेहूं का वार्षिक आवंटन तथा प्राप्ति इस प्रकार रही :

(आंकड़े लाख मी.टन में)

वर्ष	आवंटन			प्राप्ति		
	चावल	गेहूं	कुल	चावल	गेहूं	कुल
2011-12	1.57	1.16	2.73	0.21	0.50	0.71
2012-13	0.81	1.31	2.12	0.26	0.71	0.97
2013-14	0.75	1.00	1.75	0.39	0.73	1.12

भंडारण

लाभकारी एमएसपी के साथ बेहतर संचालन पहुंचाने की प्रक्रिया ने पिछले कुछ सालों में प्रप्ति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। परिणामस्वरूप केंद्रीय कुल भण्डार 01 अप्रैल, 2008 के 196.38 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 1 जून, 2012 को 823.17 लाख मीट्रिक टन की चरम-सीमा तक पहुंच गया है। केंद्रीय पूल में 01 जून, 2013 को 776.95 लाख मीट्रिक टन स्टॉक उपलब्ध है। भण्डारण क्षमता

Satish Mehuwala
GET IT ON Google Play
Competition IQ

की लघु-आवधिक अधिकतम अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, एफसीआई कवर किए गए गोदामों को किराए पर लेने तथा कवर एंड प्लिंथ (सीएपी) प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न का भंडारण जैसे उपाय करता है। सीएपी प्रणाली खाद्यान्न के भंडारण का एक वैज्ञानिक तरीका है। सेंट्रल पूल के 381.12 लाख मीट्रिक टन स्टॉक के मुकाबले 31 मार्च, 2014 को उपलब्ध कुल भंडारण क्षमता (कवर किया गया तथा सीएपी को मिलाकर) 748.08 लाख मीट्रिक टन (एफसीआई-368.90 लाख मीट्रिक टन, सीडब्ल्यूसी-105.10 लाख मीट्रिक टन तथा एसडब्ल्यूसी-274.08 लाख मीट्रिक टन) थीं।

चीनी उद्योग

चीनी उद्योग एक मुख्य कृषि आधारित उद्योग है जो लगभग 50 मिलियन गन्ना किसानों की ग्रामीण आजीविका तथा चीनी मिलों में काम करने वाले लगभग 5 लाख मज़दूरों को प्रभावित करता है। कच्चे माल की ढुलाई, मशीनरी ले जाने लाने संबंधी सेवाएं तथा कच्चे माल की आपूर्ति संबंधी विभिन्न सहायक क्रियाकलापों में भी रोज़गार का सृजन होता है। ब्राज़ील के बाद विश्व में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन भारत में होता है और यह इसका सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। आज भारतीय उद्योग का वार्षिक उत्पादन लगभग रु. 80,000 करोड़ का है। देश में 31 मार्च, 2014 को 700 स्थापित चीनी फैक्टरियां थी जिनमें लगभग 310 लाख मीट्रिक टन चीनी के उत्पादन के लिए पर्याप्त पिराई क्षमता है।

चीनी उत्पादन

देश में चीनी उत्पादन चक्रीय प्रकृति का है। प्रत्येक 2-3 वर्ष के उच्च उत्पादन के बाद 2-3 वर्ष तक कम उत्पादन होता है। वर्ष 2010-11 से देश लगातार घरेलू खपत से अधिक चीनी उत्पादन और निर्यात के लिए आवश्यक चीनी से अधिक भी उत्पन्न कर रहा है जिससे मूल्यवान विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है। निर्यात बाज़ार को लक्ष्य करते हुए अपरिष्कृत चीनी के उत्पादन की ओर अपने क्रियाकलाप को परिवर्तित करने के लिए इस उद्योग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह प्रतीत होता है कि चीनी उत्पादन में वर्ष दर वर्ष हो रहे उतार-चढ़ाव की मात्रा काफी कम हो गई है।

एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम

एथेनॉल एक कृषि आधारित उत्पाद है, जो मूल रूप से चीनी उद्योग के सह-उत्पादों, जैसे शीरा से बनाया जाता है। जिन सालों में गन्ने की उपज आवश्यकता से अधिक हुई है, तब चीनी के दाम कम हुए हैं और चीनी उद्योग किसानों को गन्ने की कीमत देने में असमर्थ रहा है। यह मूल रूप से आवश्यकता से अधिक चीनी के उत्पादन से हुआ है। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम प्रदूषण स्तरों को घटाने के अलावा एथेनॉल के इस्तेमाल के लिए नया मार्ग प्रदान कर सकता है। इस प्रकार चीनी उत्पादन के दौरान उत्पादित होने वाले सह-उत्पाद शीरा की उपयोगिता सुनिश्चित की जाती है। सरकार ने देशभर में पेट्रोल के साथ 5 प्रतिशत एथेनॉल मिलाने को अनिवार्य बना दिया है तथा इसका वसूली मूल्य तेल कंपनियों और एथेनॉल आपूर्तिकर्ताओं के बीच तय किये जायेंगे।

संपूर्ण और संतुलित आहार में खाद्य तेल और वसा अनिवार्य अंश हैं तथा ये बहुत अधिक खपत होने वाले मुख्य मदों में से एक है। इस विभाग के अंतर्गत वनस्पति, वनस्पति तेल और वसा निदेशालय (डीवीवीओएफ) देश में खाद्य तेल प्रबंधन को एक बहुउद्देशीय रणनीतियों के माध्यम से समन्वित करता है (i) आयात के माध्यम से खाद्य तेलों की जांच में कमी और घरेलू उपलब्धता का आंकलन ताकि उनके दामों को उचित स्तर पर बनाए रखा जाए; (ii) देशी और विदेशी बाज़ार में खाद्य तेलों के दाम और उपलब्धता की बारीकी से निगरानी करना और आवश्यक नीतिगत उपाय प्रारंभ करना।

SatishMehuwala

GET IT ON Google Play

Competition IQ

भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य एजेंसियों के पास कुल भण्डारण क्षमता (31 मार्च, 2014)

(आंकड़े मी.टन में)

क्षेत्र	राज्य	एफसीआई के पास कुल भंडारण क्षमता (अपनी/किराए पर)				एसडब्ल्यूसी सहित क्षमता (खाद्यान्न भंडारण के लिए एफसीआई को दी गई क्षमता को निकालकर)				कुल	
		कवर की हुई		सीएपी		कुल		राज्य ऐजेंसियां			
		अपनी	किराए की	अपनी	किराए की	कवर	सीएपी	कवर	सीएपी	कवर	सीएपी
पूर्व	बिहार	3.66	2.48	1.00	0.00	6.14	1.00	8.01	10	11	12
	झारखंड	0.67	1.07	0.05	0.00	1.74	0.05	-	-	1.74	0.05
	ओडिशा	3.02	2.83	0.00	0.00	5.85	-	7.20	-	13.05	-
	पश्चिम बंगाल	8.50	2.01	0.51	0.00	10.51	0.51	4.29	-	14.80	0.51
पूर्वोत्तर	असम	2.12	0.92	0.00	0.00	3.04	-	2.54	-	5.58	-
	अरुणाचल प्रदेश	0.18	0.05	0.00	0.00	0.23	-	0.05	-	0.28	-
	मेघालय	0.14	0.12	0.00	0.00	0.26	-	-	-	0.26	-
	मिज़ोरम	0.25	0.01	0.00	0.00	0.26	-	0.56	-	0.82	-
	त्रिपुरा	0.33	0.09	0.00	0.00	0.42	-	0.42	-	0.84	-
	मणिपुर	0.28	0.04	0.00	0.00	0.32	-	0.12	-	0.44	-
	नागालैंड	0.20	0.13	0.00	0.00	0.33	-	0.07	-	0.40	-
उत्तर	दिल्ली	3.36	0.00	0.31	0.00	3.36	0.31	-	-	3.36	0.31
	हरियाणा	7.68	29.24	3.33	0.00	36.92	3.33	25.24	53.53	62.16	56.86
	हिमाचल प्रदेश	0.19	0.16	0.00	0.00	0.35	-	-	-	0.35	-
	जम्मू और कश्मीर	1.03	0.62	0.10	0.00	1.65	0.10	1.26	-	2.91	0.10
	पंजाब	22.24	84.75	7.31	2.79	106.99	10.10	33.11	103.57	140.10	113.67
	राजस्थान	7.06	14.75	1.85	1.08	21.81	2.93	1.64	-	23.45	2.93
	उत्तर प्रदेश	14.95	26.92	5.19	0.00	41.87	5.19	1.38	-	43.25	5.19
	उत्तराखंड	0.66	1.20	0.21	0.00	1.86	0.21	1.69	-	3.55	0.21
दक्षिण	आंध्र प्रदेश	12.73	14.33	2.62	0.00	27.06	2.62	16.07	-	43.13	2.62
	केरल	5.19	0.05	0.20	0.00	5.24	0.21	3.93	-	9.17	0.21
	कर्नाटक	3.81	3.58	1.36	0.00	7.39	1.36	6.30	-	13.69	1.36
	तमिलनाडु	6.24	4.86	0.67	0.00	11.10	0.67	5.71	-	16.81	0.67
पश्चिम	गुजरात	5.00	2.19	0.27	0.00	7.19	0.27	4.01	-	11.20	0.27
	महाराष्ट्र	12.05	11.74	1.02	0.00	23.79	1.02	10.04	-	33.83	1.02
	मध्य प्रदेश	3.37	0.95	0.36	0.00	4.32	0.36	68.58	6.51	72.90	6.87
	छत्तीसगढ़	5.12	3.53	0.01	0.00	8.65	0.01	13.35	-	22.00	0.01
	कुल	**130.03**	**208.62**	**26.38**	**26.38**	**338.65**	**30.25**	**215.57**	**163.61**	**554.22**	**193.86**
		338.65		**30.25**		**368.90**		**379.18**		**748.08**	

Satish Mehuwala
GET IT ON Google Play
Competition IQ

प्रमुख खाद्य तेल

तेल के दो स्रोत है:- प्राथमिक स्रोत और गौण स्रोत। प्राथमिक स्रोत में नौ तिलहन प्रमुख हैं जैसे मूंगफली, रेपसीड/सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, मैफ़्लाउं (कुसुम), अरंडी (कास्टर) तथा अलसी (लिन्सीड)। गौण स्रोत से प्राप्त होने वाले खाद्य तेलों में नारियल, बिनौला (कॉटनसीड), राइस ब्रान तथा तिलहन खली शामिल हैं। वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13, के दौरान नौ प्रमुख तिलहनों की पैदावार तथा घरेलू स्रोतों (प्राथमिक तथा गौण स्रोत) से प्राप्त खाद्य तेलों की कुल उपलब्धता और वर्ष 2013-14 का अनुमानित उत्पादन अनुलग्नक-XVIII में दिया गया है।

उपभोक्ता कार्य

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपभोक्ता को आवश्यक वस्तुओं की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा उन्हें बेईमान व्यापारियों के शोषण से बचाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 लागू किया गया। इस अधिनियम में उत्पादन के विनिमय और नियंत्रण तथा घोषित आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन वितरण और मूल्य निर्धारण के नियमन तथा नियंत्रण का प्रावधान है, ताकि उनकी आपूर्ति बनाई रखी जा सके या बढ़ाई जा सके या उचित मूल्यों पर उनका एक समान रूप से वितरण एवं उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए विभिन्न मंत्रालयों तथा केंद्र सरकार के विभागों तथा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ-शासित राज्य प्रशासनों ने घोषित आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, वितरण, मूल्य निर्धारण और व्यापार के विभिन्न पहलुओं के नियमन के आदेश जारी किए है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के प्रवर्तन/कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ-शासित प्रशासनों की होती है।

अधिनियम के अंतर्गत 'अनिवार्य' घोषित की गई वस्तुओं की देख-रेख कर रहे संबद्ध मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों के साथ विचार-विमर्श कर, आर्थिक परिस्थितियों, विशेष कर उनके उत्पादन तथा आपूर्ति के संबंध में परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए वस्तुओं की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। मुक्त व्यापार और वाणिज्य को सुकर बनाने के लिए इस प्रकार समय-समय पर की गई समीक्षा के बाद अनिवार्य वस्तुओं की संख्या अब 7 रह गई है।

उपभोक्ता संरक्षण

उपभोक्ता आंदोलन खरीदे गए उत्पादों तथा हितकर सेवाओं संबंधी उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक सामाजिक-आर्थिक आंदोलन है। उपभोक्ता कार्य विभाग को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम चलाने और उपभोक्ताओं को तेजी से, वहन योग्य तथा सरल व्यवस्था के माध्यम से न्याय सुनिश्चित कराने के लिए स्थापित उपभोक्ता फोरा को सुदृढ़ करने के कदम उठाने का कार्य सौंपा गया है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) उपभोक्ता विवादों के निपटान के लिए एक तीन स्तरीय, यानी राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तरीय उपभोक्ता विवाद सुधारक न्यायिक-कल्प, जो सामान्यत: उपभोक्ता फोरा के नाम से जाना जाता है, की स्थापना कर उपभोक्ता हितों की बेहतर रक्षा के लिए लागू किया गया था। जम्मू-कश्मीर में इस क्षेत्र से संबंधित अपना अलग कानून लागू किया गया है। इस अधिनियम में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् की स्थापना का भी प्रावधान है, जो उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के संबंध में उपभोक्ता कार्य विभाग को अपनी सिफारिशें उपलब्ध कराने वाला एक सलाहकार निकाय है। इस अधिनियम में राज्य और जिला स्तर पर भी उपभोक्ता संरक्षण परिषद् स्थापित करने का प्रावधान है।

GET IT ON Google Play
Competition IQ

वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान खाद्य तेलों (तेल-वार) की अनुमानित घरेलू उत्पादन, आयात तथा कुल उपलब्धता (नवंबर से अक्टूबर)

(मात्रा लाख मी.टन में)

तिलहन का नाम	2010-11		2011-12*		2012-13**				2013-14***			
			तिलहन				तिलहन				तिलहन	
मुख्य स्रोत	तिलहन	तेल	तिलहन	तेल	खरीफ	रबी	कुल	तेल	खरीफ	रबी	कुल	तेल
रेपसीड/सरसों	81.79	25.35	66.04	20.47	-	80.29	80.29	24.89	-	82.51	82.1	25.58
सोयाबीन	127.36	20.38	122.14	19.54	146.66	-	146.66	23.47	124.48	-	124.48	19.92
मूंगफली	82.65	19.01	69.64	16.02	31.87	15.08	46.95	10.80	70.21	21.19	91.40	21.02
सूरजमुखी	6.51	2.15	5.16	1.70	1.87	3.57	5.44	1.80	1.34	3.36	4.70	1.55
तिल	8.93	2.77	8.10	2.51	6.85	-	6.85	2.12	6.72	-	6.72	2.08
नाइजर सीड	1.08	0.32	0.98	0.29	1.02	-	1.02	0.31	0.99	-	0.99	0.30
सैफ्लअर सीड	1.50	0.45	1.45	0.44	-	1.09	1.09	0.33	-	1.17	1.17	0.35
अरंडी	13.50	5.40	22.95	9.18	19.64	-	19.64	7.86	16.46	-	16.46	6.58
अलसी	1.47	0.44	1.52	0.46	-	1.49	1.49	0.45	-	1.40	1.40	0.42
उप कुल (क)	324.79	76.27	297.98	70.61	207.91	101.52	309.43	72.03	220.20	109.63	329.83	77.8
(ख) गौण स्रोत												
नारियल		4.00	-	4.00	-	-	-	3.90	-	-	-	4.2
बिनौला		10.89	-	11.62	-	-	-	11.57	-	-	-	12.06
राइस ब्रान		7.20	-	7.50	-	-	-	7.8	-	-	-	8.0
सॉलंट एक्स्ट्रेक्टड तेल		4.20	-	4.10	-	-	-	4.1	-	-	-	4.1
पेड़ और वन उत्पादन		1.20	-	1.20	-	-	-	1.2	-	-	-	1.2
उप कुल (ख)		27.49	-	28.42	-	-	-	28.57	-	-	-	29.56
कुल (क-ख)		103.76	-	99.03	-	-	-	100.60	-	-	-	107.36
(ग) कम: निर्यात और औद्योगिक इस्तेमाल		5.94	-	9.46	-	-	-	8.41	-	-	-	7.10
(घ) कुल घरेलू उपलब्धता	97.82	-	89.57	-	-	-	92.19	-	-	-		100.26
(ङ) खाद्यतेल का आयात	72.42	-	99.43	-	-	-	106.05		-	-		29.10 (जनवरी 2014 तक)
(च) देशी और विदेशी स्रोतों से खाद्य तेल की कुल उपलब्धता खपत		170.24	-	189.00	-	-	-	198.24	-	-	-	

* अंतिम अनुमान के आधार पर (कृषि मंत्रालय द्वारा 8/2/2013 को घोषित अनुसार)

** अंतिम अनुमान के आधार पर (कृषि मंत्रालय द्वारा 14/2/2014 को घोषित अनुसार)

*** दूसरे अग्रिम अनुमान के आधार पर (कृषि मंत्रालय द्वारा 14/2/2014 को घोषित अनुसार)

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महा निदेशालय (वाणिज्य विभाग)

Satish Mehuwala

GET IT ON Google Play

Competition IQ

इस तीन स्तरीय निपटान कार्यप्रणाली का शीर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता शिकायत निपटान आयोग है जिसका अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत न्यायाधीश होता है। इस राष्ट्रीय आयोग में इस समय 11 सदस्य हैं।

उपभोक्ता कल्याण कोष

केंद्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम, 1944 को 1991 में संशोधित किया गया था ताकि केंद्र सरकार एक उपभोक्ता कल्याण कोष का सृजन कर सके जिसमें निर्माताओं आदि को वापस न किया जा सकने वाला धन जमा किया जाता है। उपभोक्ता कल्याण कोष की स्थापना सन् 1992 में उपभोक्ता कल्याण को बढ़ावा देने और उनके संरक्षण देश के विशेषकर ग्रामीण इलाकों में उपभोक्ता जागरुकता के सृजन और उपभोक्ता आंदोलन को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई। उपभोक्ता कार्य विभाग इस कोष का संचालन करता है। जिसे राजस्व विभाग द्वारा केंद्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम, 1944 के अंतर्गत स्थापित किया गया था।

उपभोक्ता कल्याण कोष के नियमों को 1992 में भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था और तत्संबंधी दिशा-निर्देश 1993 में जारी किए गए थे। उपभोक्ता कल्याण कोष नियमों के अंतर्गत उपभोक्ता कल्याण में कार्यरत कोई भी एजेंसी/संगठन या संस्था जो कम्पनी अधिनियम, 1956 अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य कानून के अंतर्गत पंजीकृत है और तीन वर्षों से उपभोक्ता कल्याण गतिविधियों में संलग्न है, इस कोष के तहत वित्तीय सहायता की पात्र है।

वैश्वीकरण और बाज़ार अर्थव्यवस्था के आगमन ने ऐसे क्षेत्रों का विस्तार किया है जिनमें उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार की तरफ से हस्तक्षेप की जरूरत पड़ती है। आज की अपेक्षाओं के लिए उपयुक्त सिद्ध होने के लिए उपभोक्ता कल्याण कोष के दिशा-निर्देश वर्ष 2007 में संशोधित किए गए।

प्रचार अभियान

'जागो ग्राहक जागो'-उपभोक्ता शिक्षा और जागरुकता की ओर एक पहल

प्रबुद्ध उपभोक्ता एक सशक्त उपभोक्ता है। एक जागरुक उपभोक्ता न केवल अपने आप को शोषण से बचाता है अपितु समस्त उत्पादन एवं सेवा क्षेत्र में कार्यक्षमता, पारदर्शिता तथा जवाबदेही उत्पन्न करता है। उपभोक्ता जागरुकता के महत्व को अनुभव करते हुए सरकार ने उपभोक्ता शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण और उपभोक्ता चेतना को शीर्ष प्राथमिकता दी है। भारत एक ऐसा देश है जिसने उपभोक्ता संरक्षण के लिए प्रगतिशील विधेयक लाने में पहल की है। उपभोक्ता आंदोलन की दिशा में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 एक महत्तपूर्ण मील का पत्थर है। केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त वस्तुओं को छोड़कर यह अधिनियम सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है चाहे वे निजी, सार्वजनिक या सहकारी हों। पिछले चार सालों में किए गए प्रचार अभियान के फलस्वरूप 'जागो ग्राहक जागो' का नारा हर घर में परिचित है।

उपभोक्ता सहकारिता

उपभोक्ता सहकारिता, खासकर शहरों के झुग्गी-झोपड़ी इलाके, दूरवर्ती गांवों और दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में उचित मूल्यों पर अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध कराने में भूमिका निभाती हैं। उपभोक्ता सहकारिताओं का उद्देश्य उपभोक्ता को उचित मूल्य पर वस्तु पहुंचाना तथा दलालों की भूमिका को समाप्त करना है। उपभोक्ता वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर नज़र रखने के लिए उपभोक्ता सहकारिताओं को

Satish Mehuwala

GET IT ON Google Play
Competition IQ

सरकार की ओर से भी समर्थन मिला है। उपभोक्ता सहकारिताओं का ढांचा चार स्तर पर तैयार किया गया है। जिसमें प्राथमिक स्टोर, थोक विक्रय/केंद्रीय स्टोर/राज्य उपभोक्ता सहकारिता संघ और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारिता महासंघ हैं।

नेशनल को-ऑपरेटिव कन्ज्यूमर्स फैडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनसीसीएफ)

(1) एनसीसीएफ 16 अक्तूबर, 1965 को स्थापित किया गया था और बहुराज्यीय सहकारिता समिति अधिनियम के अंतर्गत इसका संचालन किया जाता है। एनसीसीएफ का प्रबंधन एक निदेशक मंडल देखता है, जिसमें महासंघ के नियमों के अनुरूप निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही तरह के सदस्य होते हैं। महासंघ का वाणिज्यिक काम-काज नई दिल्ली स्थित मुख्यालय और राज्यों की राजधानियों और देश के अन्य महत्वपूर्ण केन्द्रों में स्थापित 26 शाखाएं एवं उपशाखाएं संचालित करती है। एनसीसीएफ भिवानी (हरियाणा), मोहाली (पंजाब) और नोएडा (उत्तर प्रदेश) में तीन औद्योगिक इकाइयां भी चलाता है।

माप और तौल

विधिक माप-पद्धति अधिनियम, 2009 के बेहतर कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने सात नियम बनाए हैं। राज्य सरकारों द्वारा भी विधिक माप-पद्धति (प्रवर्तन) नियम बनाए गए हैं। उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित सात विधिक माप-पद्धति नियमों का गठन किया गया है।

(क) विधिक माप-पद्धति (डिब्बाबंद वस्तुएं) नियम, 2011

(ख) विधिक माप-पद्धति (सामान्य) नियम, 2011

(ग) विधिक माप-पद्धति (मानक अनुमोदन) नियम, 2011

(घ) विधिक माप-पद्धति (परिकलन) नियम, 2011

(ड़) विधिक माप-पद्धति (राष्ट्रीय मानक) नियम, 2011

(च) भारतीय विधिक माप-पद्धति नियम, संस्थान 2011

(क) विधिक माप-पद्धति (सरकार द्वारा स्वीकृत परीक्षण केंद्र) नियम, 2013

भारतीय मानक ब्यूरो

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के अधीन एक सांविधिक संगठन के रूप में भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना की गई। इसने 1947 में स्थापित भारतीय मानक संस्थान (आईएसआई) की परिसंपत्तियों और देनदारी को ग्रहण किया। इस ब्यूरो का दिल्ली में मुख्यालय था। इसकी 05 क्षेत्रीय कार्यालयों, 32 शाखा कार्यालयों और 08 प्रयोगशालाओं की एक शृंखला है, जो बीआईएस, सरकार, उद्योग और उपभोक्ता के बीच एक प्रभावशाली संपर्क कड़ी का कार्य करती है। ब्यूरो ने अपने महत्वपूर्ण कार्यों जैसे मानक तैयार करना, उत्पाद प्रमाणन, प्रबंधन कार्यपद्धति का प्रमाणन तथा हॉलमार्किंग के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में लगातार प्रगति की है। वेबसाइट : www.bis.org.in

बीआईएस के उद्देश्य तथा कार्यनिष्पादन

भारत की राष्ट्रीय मानक इकाई भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के अधीन एक संवैधानिक संगठन है। बीआईएस का उद्देश्य उपभोक्ताओं के उत्पाद तथा सेवा

Satish Mehuwala

GET IT ON Google Play Competition IQ

गुणवत्ता की अपेक्षाओं को पूरा करना है। बीआईएस के लक्ष्य हैं:

- मानकीकरण, मार्किंग और गुणवत्ता प्रमाणन का सामंजस्यपूर्ण विकास;
- मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण को एक नया महत्व प्रदान करना;
- मानकों को मान्यता देने तथा उन्हें उत्पादन और निर्यात की वृद्धि और विकास के साथ जोड़ने के लिए राष्ट्रीय कार्य पद्धति प्रस्तुत करना।

हॉलमार्किंग

सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग की योजना भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अप्रैल 2000 से शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य था, उपभोक्ता के हितों का संरक्षण और सोने की शुद्धता पर उपभोक्ता को तीसरे पक्ष की गारंटी प्रदान करना। चांदी के आभूषणों और अन्य भिन्न वस्तुओं की हॉलमार्किंग की योजना अक्तूबर 2005 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत जौहरी को आभूषणों पर हॉलमार्किंग के लिए बीआईएस से लाइसेंस प्राप्त करना होता है। परीक्षण और हॉलमार्किंग (एएंडएच) केंद्रों, जहाँ आभूषणों/शिल्पवस्तुओं की शुद्धता की जांच की जाती है, को बीआईएस मान्यता प्रदान करता है। ये मान्यता केंद्रों को यह सुनिश्चित करने के बाद दी जाती है, कि केंद्र के पास सोने और चाँदी के आभूषणों/शिल्पवस्तुओं के परीक्षण और हॉलमार्किंग के लिए अपेक्षित बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय परीक्षण गृह (एनटीएच)

राष्ट्रीय परीक्षण गृह, उपभोक्ता कार्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाला एक अधीनस्थ कार्यालय, देश का एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थान है, जिसकी स्थापना सन् 1912 में तत्कालीन रेलवे बोर्ड के अंतर्गत की गई थी, और तब से यह विभिन्न अभियांत्रिकी सामग्रियों तथा तैयार उत्पादों के परीक्षण, मूल्यांकन तथा गुणवत्ता नियंत्रण के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय महत्व वाली प्रयोगशाला के रूप में विकसित हो चुका है। यह उद्योग, वाणिज्य, व्यापार तथा मानकीकरण से जुड़े प्रौद्योगिकी के सभी पहलुओं में सक्रिय रूप से शामिल है।

राष्ट्रीय परीक्षण गृह की उद्योगों के लिए घरेलू उत्पादों के विकास में निर्णायक भूमिका रही है और यह गुणवत्ता नियंत्रण के लिए औद्योगिक अनुसंधान और उत्पादकों के बीच महत्वपूर्ण सेतु के रूप में काम करता रहा है।

राष्ट्रीय परीक्षण गृह (एनटीएच) की मुख्य विशेषताएं

- औषधियों, हथियारों और युद्ध सामग्री के अतिरिक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सभी शाखाओं में उत्पादों, सामग्री, उपकरणों, औजारों और प्रणालियों का परीक्षण और मूल्यांकन; विश्व बाजार में अपनी साख बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वैकल्पिक आयात के घरेलू उत्पादों के विकास में उद्योगों की मदद करना; अपनी प्रतिस्पर्धा के क्षेत्रों में समुचित मानकों और संदर्भों को बनाए रखना और इकलॉन-II के स्तर का असंशोधन।
- जांच और परीक्षण प्रयोगशालाओं को मान्यता देने के लिए एनएबीएल की सहायता करना।
- मानकों को तैयार करने में भारतीय मानक ब्यूरो की सहायता करना।
- आईबीआर 1950 अभिनियम के अनुसार प्रत्याशित उम्मीदवार के लिए वैल्डर्स प्रमाणपत्र का प्रावधान करना।

Satish Mehuwala

GET IT ON Google Play

Competition IQ

- राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सौंपे गए डीजल जेनरेटर सेटों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण की जांच करना।
- औद्योगिक व्यवसायियों और इंजीनियरिंग के छात्रों को परीक्षण पद्धतियों का प्रशिक्षण देना।

वेबसाइट: www.nth.gov.in

खाद्य प्रसंस्करण

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्थापना जुलाई 1988 में देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को विकास के लिए प्रोत्साहन देने के लिए की गई थी। उसके बाद इसे 1999 में एक विभाग बनाकर कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कर दिया गया। केबिनेट सचिवालय के नोट के तहत इसे पुन: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय बना दिया गया। इसमें पुन: संशोधन किया गया और वर्ष 2001 में एक खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय अधिसूचित किया गया। मंत्रालय को आवंटित विषय इस प्रकार हैं:

मिल्क पाउडर, नवजातों के लिए मिल्क फूड, मॉल्टिड मिल्क फूड, गाढ़ा दूध, घी तथा अन्य डेयरी उत्पाद, पॉल्ट्री तथा अंडे, मांस और मांस उत्पादों जैसे कुछ निश्चित प्रकार के कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण और प्रशीतन से संबंधित उद्योग; (ii) मछली का प्रसंस्करण (डिब्बा बंदी और प्रशीतन सहित); (iii)मछली प्रसंस्करण उद्योगों के लिए विकास परिषद की स्थापना और सेवा; (iv) मछली प्रसंस्करण उद्योग के लिए तकनीकी सहायता और सलाह; (v) फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग (प्रशीतन और निर्जलीकरण) तथा (vi) खाद्यान्न मिल उद्योग। मंत्रालय ब्रेड, तेल बीज, भोजन (खाद्य पदार्थ), नाश्ते का खाद्य, बिस्कुट, मिठाइयां (कोको प्रसंस्करण और चाकलेट बनाना), माल्ट सत, प्रोटीन आइसोलेट, उच्च प्रोटीन खाद्य, खाने के लिए तैयार खाद्य उत्पादों सहित नवजातों को स्तनपान छुड़ाने के लिए दिया जाने वाला आहार इत्यादि; खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए विशेष पैकेजिंग; गैर-अल्कोहल और अल्कोहल युक्त बीयर; गैर-शीरा से बने अल्कोहल युक्त पेय; गैस मिश्रित पानी और हल्के पेय पदार्थ से संबद्ध उद्योगों के नियोजन, विकास और नियंत्रण तथा सहायता पर भी ध्यान देगा।

मूलभूत ढांचा विकास के लिये योजना

मेगा फूडपार्क

इस स्कीम के तहत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए अति आधुनिक बुनियादी सुविधाओं का सृजन करना है। इसके तहत सहायता अनुदान के रूप में परियोजना लागत जिसमें जमीन (लागत शामिल नहीं है) की दर 50 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों में तथा उत्तरपूर्व क्षेत्र और कठिन क्षेत्रों में 75 प्रतिशत वित्तीय सहायता का प्रावधान है। यह वित्तीय सहायता अधिकतम ₹ 50 करोड़ प्रति परियोजना है।

एकीकृत कोल्ड श्रृंखला

इसके तहत सामान्य क्षेत्रों में परियोजना और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की कुल लागत का 50 प्रतिशत तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र और कठिन क्षेत्रों में यह सहायता दर 75 प्रतिशत है। अधिकतम सहायता राशि प्रति परियोजना ₹ 10 करोड़ है।

बूचड़खानों की स्थापना/आधुनिकीकरण

इसके तहत फैक्ट्री और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्य के लिए सामान्य क्षेत्रों में अनुदान सहायता राशि 50 प्रतिशत की दर से तथा उत्तरपूर्व और कठिन क्षेत्रों में यह दर 75 प्रतिशत है। अधिकतम वित्तीय सहायता प्रति परियोजना ₹ 15 करोड़ है।

SatishMehuwala

GET IT ON Google Play

Competition IQ

राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी)

मंत्रालय ने 12वीं योजना के दौरान खाद्य प्रसंस्करण पर केंद्र प्रायोजित एक नई स्कीम राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन की शुरुआत की है जिसे राज्य सरकारों के माध्यम से लागू किया जाना है। नए प्रस्तावित भागों के अलावा इस मिशन में मंत्रालय की कुछ जारी स्कीमों को सम्मिलित किया गया है। इससे न केवल मंत्रालय की स्कीम को बेहतर पहुंच मिलेगी बल्कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से संबंधित नीतिगत मुद्दों पर मंत्रालय का ध्यान भी आकृष्ट होगा। अस्थायी 12वीं योजना आवंटन में स्कीम के लिए ₹ 1850 करोड़ रखे गए हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का तकनीकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण

सहायता अनुदान के रूप में प्लांट और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्य की कुल लागत का 25 प्रतिशत की दर पर अधिकतम 50 लाख रुपये तक (सामान्य क्षेत्रों में) वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उत्तर पूर्व तथा कठिन क्षेत्र में यह सहायता 33-33 प्रतिशत की दर से अधिकतम 75 लाख रुपये तक प्रति परियोजना प्रदान की जाती है। अस्थायी 12वीं योजना आवंटन में इस स्कीम के लिए 750 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स, आर एंड डी तथा अन्य प्रोत्साहन गतिविधियां संबंधी स्कीम

खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं

केंद्र/राज्य सरकारों, इसके संगठनों/विश्वविद्यालयों जिसमें मानद विश्वविद्यालय शामिल हैं की प्रयोग शाला उपकरणों की पूरी लागत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये तकनीकी सिविल कार्य उपकरणों, फर्नीचर, फिक्स्चर आदि के लिए 25 प्रतिशत की दर से सामान्य क्षेत्रों में और 33 प्रतिशत की दर से उत्तर-पूर्व क्षेत्रों में वित्तीय सहायता के लिए भी प्राप्त है। अन्य सभी क्रियान्वयन एजेंसियां/निजी क्षेत्र संगठन प्रयोगशाला उपकरणों की लागत का 50 प्रतिशत तथा तकनीकी और सिविल कार्य की लागत मे 25 प्रतिशत सहायता अनुदान के लिए पात्र होंगे। 2012 से इस स्कीम के क्रियान्वयन के लिए आईसीएआर दिया गया है।

एचएसीसीपी का क्रियान्वयन

केंन्द्रीय/राज्य संगठनों, आईआईटी, विश्वविद्यालयों तथा निजी क्षेत्रों को संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली को लागू करने के लिए परामर्श शुल्क, प्लांट और मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य और अन्य खर्चों की प्रतिपूर्ति 50 प्रतिशत की दर से करने का प्रावधान है। ये दर सामान्य क्षेत्रों के लिए हैं अधिकतम 15 लाख रुपये तक है, कठिन और उत्तरपूर्व राज्यों में यह दर 75 प्रतिशत है और अधिकतम 20 लाख रुपये है।

शोध और विकास

केंद्र/राज्य सरकार संगठन/आईआईटी/विश्वविद्यालयों को उपकरण लागत/उपोज्य/जेआरडी/एसआरएफ के लिए शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्कीम के लिए 12वीं योजना आवंटन के तहत 290 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

Satish Mehanwala
GET IT ON Google Play
Competition IQ

मानव संसाधन विकास स्कीम

इस स्कीम के तहत : खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंन्द्र (एफपीटीसी); विश्वविद्यालयों में खाद्य प्रसंस्करण में स्नातक/डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाने के लिए बुनियादी ढांचा निर्माण; उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपीज) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। 2012 से स्कीम को एनएमएफपी में मिला दिया गया है।

संस्थानों का सुदृढ़ीकरण

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम)

एनआईएफटीईएम की स्थापना मंत्रालय द्वारा हाल के वर्षों में की गई बड़ी पहल है। संस्थान हरियाणा के सोनीपत में स्थापित है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विभिन्न पहलुओं पर हासिल अधिदेश के साथ इस क्षेत्र में यह अग्रणी संस्थान है।

राष्ट्रीय मांस और मुर्गीपालन प्रसंस्करण बोर्ड (एनएमपीपीबी)

बोर्ड का फोकस मानकीकरण, परीक्षण आदि के लिए पहल के माध्यम से इस क्षेत्र में स्वस्थ और गुणवत्ता के आधुनिक मानकों के विकास और उसके पालन पर है।

भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड (आईजीपीबी)

यह बोर्ड पुणे के अंगूर बहुलता वाले क्षेत्र में स्थित है जिसका उद्देश्य घरेलू और विदेशी दोनों बाजारों में भारतीय शराब को पसंद का उत्पाद बनाना है।

भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीपीटी)

मंत्रालय के तहत आईआईसीपीटी एक प्रमुख अनुसंधान और विकास संस्थान है। संस्थान जैव प्रसंस्करण, प्रक्रिया और उत्पाद विकास के जरिये खाद्यान्न प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन, गौण-उत्पादन उपयोगिता के शोध और विकास में संलग्न है।

Satish Mehuwala

GET IT ON Google Play
Competition IQ